FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

श्रीराम वगै0 बनाम बलराम वगै0

किस्म मुकदमा– इजराय   मुकदमा नम्बर– 36 / 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.09.2022	वकील डिक्रीदार श्री कमल कुमार शर्मा एड0 ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावें। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.08.2022 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 30.09.2022 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर	
11.11.2022	वकील डिक्रीदार के प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली तलब होकर आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। वकील डिक्रीदार ने प्रार्थना पत्र पेश कर अवगत कराया है कि न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय की पालना हेतु जारी तहरीर आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर के समक्ष समय पर पेश नहीं कर सके है। जिसके कारण इजराय में पुनः तहरीर आदेश जारी किये जाने का निवेदन वकील डिक्रीदार द्वारा किया गया है। वकील डिक्रीदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पुनः तहरीर आदेश जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 12.12.2022 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर Signature Not Verified Digitally signed by Anil Kumar Date: 2024.04.30 12:25:31 IST Reason: SelfAttested	ऑनलाइन मिलान किया गया। [illegible] की [illegible] ना. सं. 1037 दि. 8.6.23 दर्ज की गयी। GLR
29.04.2024	पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में जारी निर्णय व डिक्री की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 1037 दिनांक 08.06.2023 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	

श्रीराम बनाम हरसराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व ता[illegible] अहकाम जो [illegible] हुक्म की ता[illegible] जारी हुये
	इजराय 26 नं. 36/2022	
	अतः इजराय पत्रावली को इसी स्तर पर खारीज की जाकर फैसल की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] 29/4 (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.04.30 12:25:31 IST
Reason: SelfAttested